(61)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(313)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 21 JUL 2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के अकृषि उपयोग की अनुमति के संबंध में दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों के निगमन प्रक्रिया, निगमन शुल्क [illegible] के संबंध में [illegible] दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के अपजीकृत दस्तावेज की कट ऑफ डेट (cut off date) दिनांक 30.09.2012 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में दिनांक 30.09.2012 के स्थान पर 31.05.13 निर्धारित कर दिया गया था।

अब राज्य सरकार द्वारा [illegible] दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के हस्तान्तरित भूखण्डों के निगमन हेतु अपजीकृत दस्तावेज की कट ऑफ डेट (cut off date) दिनांक 31.05.2013 निर्धारित की जाती है। दिनांक 31.05.2013 तक की अवधि के उक्त दस्तावेज दिनांक 30.11.2015 तक ही निगमन हेतु मान्य होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

21/7/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. [illegible], राजस्थान सरकार।
2. [illegible]
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/स्वायत्त शासन विभाग।
6. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग की अशासकीय [illegible] 10150.2644 दिनांक [illegible]
7. आयुक्त, [illegible] आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संभाग [illegible] आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव, [illegible], नगरीय विकास विभाग।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. मुख्य [illegible] नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. [illegible] कुमार [illegible], राजस्थान।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

21/7/15

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय